(135)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1101—पीबीआर/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08—10—1998 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 146/1997—98/अपील

.....

1— रामप्रसाद
2— भईयालाल, पुत्रगण श्री भगवान सिंह
निवासीगण— ग्राम अतरेजी, तहसील मुंगावली
जिला— गुना, (म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेई, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-11-16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08—10—1998 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 57 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अतरेजी, तहसील मुंगावली की वादग्रस्त भूमि क्रमांक 258/1 तथा 298/1 कुल रकबा 62 बीघा 2 बिस्वा (पुराने सर्वे नम्बर) पुर्व जमींदार मंगलसिंह के खाते में थी और आवेदकगण ने इस पर कब्जा कर रखा था। बन्दोवस्त से पहले आवेदकगण 125 बीघा भूमि

जो बाद में केवल 87 बीघा 10 विस्वा ही रह गई । इस भूमि के नवीन सर्वे नम्बर 308 के रकबा 30–35 बीघा पर आवेदकगण का अभी भी कब्जा चला आ रहा है किन्तु पटवारी ने इसे शासकीय चरनोई दर्ज कर दिया है। इस भूमि के संबध में आवेदकगण के विरूद्व तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 28/60/248 में अतिक्रमण की कार्यवाही होने पर ही आवेदकगण को इसका पता चला और इस कारण इस भूमि पर अपने आपको भूमिस्वामी दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवश्यक साक्ष्य आदि लेने के बाद अपने प्रकरण क्र 05/अ–1/1973–74 में पारित आदेश दिनांक 31.03.75 द्वारा आवेदकगण का आवेदन अस्वीकार कर दिया, जो प्रथम अपील में कलेक्टर गुना के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 13/74–75 अपील में दिनांक 27.11.1976 के आदेश द्वारा स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त, ग्वालियर के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 121/1976–77 अपील में दिनांक 06.01.93 के आदेश द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई और प्रकरण विचारण न्यायालय को आदेश में वर्णित कतिपय बिन्दुओं पर जांच के बाद निराकरण के प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के बाद भी विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.05.95 के द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र पूर्ण जांच और विचार के बाद निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अस्वीकार की गई। इस आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण ने यह द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो प्रकरण क्रमांक 146/1997–98/अपील पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 08.10.1998 द्वारा अस्वीकार की गई इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि प्रकरण में विवादित भूमि पर निरन्तर आवेदकगण के वास्तविक आधिपत्य में चली आ रही है तथा आवेदकगण उस पर जमीदारी काल से कृषि कार्य करते चले आ रहें हैं। ऐसी भूमि को चरनोई भूमि माना जाना तथयों के विपरीत तथा अवैध है। विवादित भूमि अनधिकृत रूप से बिना किसी आदेश के चरनोई लिखी गई थी । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने प्रकरण क्रमांक 126/1976–77/अपील में पारित आदेश दिनांक 06.01.83 द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये, तीन बिन्दुओं पर जांच करने के निर्देश दिये थे। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कोई जांच नहीं की और न ही यह निर्णय दिया कि विवादित भूमि कब

एव किस कार्यवाही में किसके आदेश द्वारा चरनोई लिखी गयी थी । वरिष्ठ न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिये था, जिसके लिये अधीनस्थ न्यायालय बाध्य थे। इस संबंध में 1989 रे0नि0318, 1989 रे0नि0 205 उल्लेखित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रकरण में विवादित भूमि पर संवत 2007 से निरन्तर आवेदकगण के पिता भगवानसिंह का नाम पट्टेदार काश्तकार के रूप में अंकित था। प्रथम बार संवत 2015 में चरनोई की प्रविष्टि की गयी । यह प्रविष्टि किसके आदेश से तथा किस कार्यवाही के आधार पर का गई यह कहीं स्पष्ट नहीं है। ऐसी अनधिकृत, अवैध तथा तथ्यों के विपरीत प्रविष्टि के आधार पर आवेदकगण को उनके स्वत्व का भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता । अतएव निवेदन है कि पुनरीक्षण आवेदन स्वीकार किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश निरस्त किये जायें ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण यह सिद्ध नहीं कर सके हैं कि इस भूमि पर संहिता के प्रभावशील होने के पहले वे कब और कैसे भूमिस्वामी हुये थे। पूर्व में इस भूमि को किसी पूर्व जमींदार/जागीदार के पास होने का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं होना भी बताया गया है। इसके विपरीत प्रश्नाधीन भूमि लगातार शासकीय चरनोई दर्ज पाई गई है। आवेदकगण इस भूमि पर अपना किसी प्रकार का स्वत्व सिद्ध नहीं कर सका है। जब आवेदकगण इस भूमि पर अपना अथवा किसी अन्य जमींदार/जागीदार का स्वत्व स्थापित नहीं कर सका है और अभिलेख में भूमि लगातार शासकीय चरनोई दर्ज की जाती रही है तो फिर यह जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि यह भूमि शासकीय चरनोई कैसे और कब से दर्ज की गई है। इसलिये अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के बिन्दू क्रमांक (ब) की जांच नहीं किये जाने का तर्क मान्य योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तिन आदेश का पूरी तरह से पालन किया है और साक्ष्य आदि के बाद इनके संबंध में समुचित निष्कर्ष निकाला है। आवेदकगण अपने आवेदन को सिद्ध करने में सफल नहीं रहे है। इसके अलावा यह भी विचारणीय बिन्दू है कि अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष आवेदकगण के आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में समान होने

से इस प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष का सिद्धांत लागू होगा । भूमि के शासकीय चरनोई होने के तथ्य पर अब इस द्वितीय अपील के न्यायालय को वैसे भी अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष को उलटते हुये निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी ठोस आधारों के अभाव में एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर